विजय

बनाम

लक्ष्म. और अन्य

(फौजदारी दांडिक अपील संख्या 261/2013)

दिनांक 07.02.2013

(न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा)

परक्राम्य लिखत अधिनियमए 1881. अन्तर्गत धारा 118 (ए)138 और 139. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में जारी किया गया चैक. खाते में धन की अपर्याप्तता के कार. अनादृत है- अपीलार्थी द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋ. के दो माह की अवधि के प्रतिसंदाय हेतु पेश किया-बचाव में अभिकथित किया गया क चैक प्रतिभूति पेटे दिया गया था न की ऋ. के प्रति संदाय हेतु। यहां तक कि खाते के अंतिम निपटान हेतु पक्षकारों के मध्य, प्रत्यर्थी को चैक वापस नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी ने जवाबी कार्यवाही में भुगतान हेतु चैक पेश किया-विचार. न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को अपास्त किया गया-औचित्यपूर्.-न्यायोचित माना गया है-अपीलार्थी यह स्थापित करने में असफल रहा कि चैक वास्तव में प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत ऋ. के प्रति संदाय हेतु दिया गया था-दस्तावेजों

की अपर्याप्तता या अन्य साक्ष्य के अभाव में-यदि चैक व्यक्तिगत ऋ. के प्रतिसंदाय हेतु जारी किया गया था तो वह भुगतान हेतु दो माह के अंदर पेश किया जाना चाहिये था। यह समझ से परे है कि चैक क्यों जारी किया गया। प्रत्यर्थी ऐसा कोई कार. नहीं रखता था कि अपीलार्थी से ऋ. क्यों लिया, यदि वह उस तिथि को ऋ. चुकाने की क्षमता रखता था तो उसके द्वारा उस तिथि को चैक क्यों जारी किया गया। इसके अतिरिक्त चैक को उसी दिन पेश किया गया, जब पक्षकारों के मध्य विवाद पैदा हो गया था। परिवाद में ऋ. के अग्रिम भुगतान के संबंध में भी तिथि अंकित नहीं की गई थी। परिवादी/अपीलार्थी प्रस्तुत प्रकर. में सफल रहा क्योंकि उसके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 ए व 139 परक्राम्य लिखित अधिनियम की परिकल्पना के भार को साक्ष्य से खंडित किया-अपीलार्थी का मामला संदेह के घेरे में प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति की पुष्टि की गई-बैंकिंग पब्लिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखित कानून संशोधन अधिनियम, 1988.

प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के पिता को दूध की आपूर्ति की, जो कि डेयरी फार्म चलाते थे। अपीलार्थी ने परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत एक परिवाद प्रत्यर्थी के विरूद्ध दर्ज कराया कि प्रत्यर्थी ने 1,15,000 रूपये अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए उससे उधार लिये थे, उसके पेटे उसी राशि का अपीलार्थी को एक चैक दिया था किंतु

उक्त चैक अपीलार्थी द्वारा बैंक में पेश करने पर प्रत्यर्थी के खाते में अपर्याप्त राशि होने पर चैक अनादरित हो गया।

प्रत्यर्थी ने यह स्वीकारोक्ति की है कि चैक उसने अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया था किंतु उसी ऋ. बाबत उसके प्रति संदाय के संबंध में चैक को दिया जाना् माना गया। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उनके मध्य दूध की स्पलाई हेतु व्यवहार में वह अपीलार्थी को प्रतिभूति पेटे चैक दिये जाते थे, जो चैक केवल उनके मध्य भुगतान की सुरक्षा बतौर दिये जाते थे, भुगतान का निस्तार. होने के पश्चात् प्रत्यर्थी से प्रतिभूति पेटे दिये गये चैक के बारे में पूछने पर अपीलार्थी ने चैक वापस नहीं दिये, जिससे उनके मध्य ववाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना में दिनांक 13.08.2007 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने जवाबी कार्यवाही में प्रत्यर्थी द्वारा बतौर प्रतिभूति लिये गये चैकों को पुर्नभुगतान हेतु पेश किया गया।

विचार. न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया गया और उसे एक वर्ष के कारावास व 1,20,000 रूपये के जुर्माना से दंडित किया गया, जो आदेश प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया। दांडिक पुनरीक्ष. याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी की याचिका स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया और यह भी अभिनिर्धारित किया

कि उक्त आदेश से न्याय का हनन हुआ है और मौजूदा प्रकर. में प्रतिरक्षा साक्ष्य पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित:

न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा

1.1 जब एक चैक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर जारी किया गया हो और परिवादी वास्तविक रूप से अपने भार से उनमुक्त हो गया हो कि चैक उसके द्वारा पुर्नभुगतान हेतु जारी किया गया है तो ऐसी स्थिति में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118, 139 के तहत अभियुक्त पर यह स्थापित करने का भार कि चैक विधिपूर्. ऋ. की अदायगी के लिए जारी नहीं किया गया था बल्कि चैक परिवादी और उसके व्यापार के संव्यवहार के मध्य बतौर सिक्यूरिटी के रूप में जारी हुआ था या गैर कानूनी ढंग से चाहा गया था।

1.2 मौजूदा प्रकर. में यद्यपि अभियुक्त/प्रत्यर्थी अपने भार को साबित करने में विफल रहा है कि चैक उसके द्वारा हस्ताक्षरित करके नहीं दिया गया था फिर भी यहां पर एक आश्चर्यजनक कमी अपीलार्थी/परिवादी की प्रतीत होती है। अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के मामले में बचाव का रास्ता क्या है, यह स्थापित करने में विफल रहा है कि चैक वास्तव में व्यक्तिगत ऋ. के पुर्नभुगतान के लिए प्रत्यर्थी द्वारा जारी किया गया था। यद्यपि

अपीलार्थी द्वारा बिना तारीख के वर्णित किये हुए शिकायत दर्ज करायी थी। अपीलार्थी की अपील कहानी के अनुसार प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को आश्वस्त किया था कि वह पैसे दो माह के अंदर वापस कर देगा, जिसके पेटे उसने एक चैक बाद की तारीख 14.08.2007 राशि 1,15,000 रूपये का जारी किया था। प्रत्यर्थी/अभियुक्त पर एक पश्चातवर्ती चैक दिनांक 14.08.2007 जारी करने का आरोप है किंतु शिकायतकर्ता/अपीलार्थी ने वह दिनांक नहीं दर्शायी जिस दिनांक पर ऋ. दिया गया था, जो कि घातक हैं अपीलार्थी का मामला इस गंभीर चूक का हो सकता है, जिससे वास्तविक रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चैक दिनाक 14.08.2007 को जारी किया गया था और भुगतान के लिए उसे बाद की तिथि में दो माह के अंदर आश्वस्त करने की तिथि दिनांक 14.08.2007 को पेश किया गया था किंतु यह महत्वपूर्. है कि चैक बैंक के समक्ष आश्वस्त करने की दिनांक 14.08.2007 को पेश किया गया या समान तिथि दिनांक 14.08.2007 को लिखित मीमो अपीलार्थी द्वारा अपर्याप्त निधि के इन्द्राज के साथ प्राप्त किया गया। सबसे पहले अगर चैक ऋ.राशि के पुर्नभुगतान के संबंध में था तो स्पष्ट रूप से इसका तात्पर्य बाद की तारीख में दो माह के भीतर भुगतान किये जाने के संबंध में था या बाद की तिथि के लिए चैक जारीकिया गया था यदि चैक ऋ. के पुर्नभुगतान हेतु जारीकिया गया था तो यह समझ से परे है कि अपीलार्थी द्वारा चैक को समान तिथि पर क्यों प्रस्तुत किया गया, जबकि वह जारी किया गया और परिवादी द्वारा बिना किसी कार. के

शिकायत दर्ज करवाई गई, जो दिनांक आसानी से छुपायी गई, इस समस्त पृष्ठभूमि में दिनांक 13.08.2007 से एक दिन पहले पक्षकारों के मध्य झगड़ा हो गया और शिकायतकर्ता डेयरी मालिक के खिलाफ प्रत्यर्थी/अभियुक्त द्वारा एक मामला दर्ज करवाया गया। इस तिथि को छुपाया गया कि ऋ. किस तिथि को देय था, जो तिथि परिवाद दर्ज कराने की तिथि के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। यह वास्तविक रूप से मुश्किल है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा चैक ऋ. के भुगतान हेतु जारी किया गया।

इस प्रकार अपीलार्थी अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि चैक एक विधि पूर्. ऋ. की अदायगी के लिए जारी किया गया था और विधि पूर्. ऋ. उसी तिथि पर भुगतान होना था, जब वह विशेष रूप से जारी किया गया था। अपीलार्थी उस तिथि का ख्ुालासा करने में असफल रहा है, जिस तिथि को ऋ. राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार आश्चर्यजनक असंगतता एक गंभरी खामी की ओर इंगित करती है कि अपीलार्थी का यह कथन चैक यद्यपि जारी किया गया है और चैक का भुगतान उसी तिथि को किया जाना था, जिस दिनांक को उसे जारी किया गया था। (पैरा 13) (94-ए-एच, 95-ए-एफ)

1.3 यद्यपि चैक को उसके विधिपूर्. स्वामी/प्रत्यर्थी/अभियुक्त से प्राप्त किया गया था, जिसके द्वारा अवैध कार. से उसे प्रयोग किया गया था,

जैसा कि भुगतान किये जाने की तिथि से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब उसे पेश किया गया, इस समस्त घटनाक्रम में प्रत्यर्थी ऐसा कोई कार. नहीं रखता था कि उसने अपीलार्थी से ऋ. के संबंध में पूछा हो। ऐसी स्थिति में वह ऋ. राशि से उनमुक्त होने की क्षमता रखता था, जब उसके द्वारा चैक जारी किया गया। इस घटना में पविादी का मामला संदेह के दायरे में था, जिस कार. दोषसिद्धि और सजा यथावत नहीं रखी जा सकती थी। (पैरा 14) (95-एफ-एफ, 96-ए)

2. उच्च न्यायायल ने निष्कर्षों को सही ढंग से खारिज कर नीचे की अदालतों द्वारा उत्पन्न विसंगतियों को जो अपीलार्थी के मामले में पैदा हुई थी, जैसा कि अस्पष्ट निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अनुचित दोषसिद्धि हुई, प्रत्यर्थी की सजा वास्तव में विचार. न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 118ए व 139 के महत्वपूर्. तत्वों का लोप करके किया जाना प्रतीत हुआ था। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 जिसने इसे बनाया है, जिस के अस्तित्व की जांच करने के लिए नीचे की अदालते जिम्मेदार है, इस बात का ख.ंडन करने की साक्ष्य क्या अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने इसे अस्वीकार करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया और मात्र परिवादी द्वारा अभिलिखित कराये गये कथनों को आधार बनाकर अपना निष्कर्ष दिया गया। उच्च न्यायालय को विचारा. न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्.य को सही रूप से खारिज करने की शक्ति थी, जबकि अपीलीय न्यायालय

द्वारा अभियुक्त की प्रतिरक्षा साक्ष्य को नजरअंदाज कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विश्वास कायम कर परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118 ए व 139 के तहत चैक धारक के पक्ष में परिकल्पना मानते हुए अभियुक्त को सबूत के भार से विमुक्त कर दिया। विधायिका के द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118 ए व 139 में उपबंधित बचाव जो कि अनावश्यक रूप से पैदा हुई असंगतियांे के लिए धारक को संरक्षित करता है क्योंकि उक्त उपबंध मेंवर्णित है कि ''जब तक अन्यथा सिद्ध न हो'' और ''जब तक अन्यथा साबित न हो'' किंतु किसी व्यक्ति के विरूद्ध जो उपधारणा की जाती है उस उपधारणा को खंडित कर अन्यथा रूप से साबित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति को विधिवत रूप से पुष्ट किया गया। (पैरा 15, 16) (96-बी-एच, 97-ए)

के.एन.बीना बनाम मुनियप्पन और अन्य 2001 (7) स्केल 331 और पी.वे.ुगोपाल बनाम मदन पी. सारथी (2009) 1 एससीसी 492: 2008 (15) एससीआर 25 - संदर्भित

कानूनी संदर्भ में केस:

2001 (7) स्केल 331	संदर्भित	पैरा 9
2008 (15) एससीआर 25	संदर्भित	पैरा 12

न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर (पूरक)

अभिनिर्धारतः

1. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त/प्रत्यर्थी के संबंध में दिये गये मत को उचित रूप से प्रथमतः स्वीकार किया। परिवादी की कहानी है कि उसने प्रत्यर्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा दिये गया ऋ. किसी के द्वारा समर्थित नहीं है, किसी दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर ऐसे ऋ. के संबंध में संव्यवहार हुआ था। इतना ही, परिवादी द्वारा शिकायत में न तो ऋ. दिये जाने की तारीख, न ही ऋ. की मांग और न ही अग्रिम कब दिया गया दर्शाया गया है। उपरोक्त संबंध में उसकी ओर से ऋ. के संबंध कोई वर्.न नहीं था, जो कहानी को संदेहास्पद बनाता है। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118 व 139 पूर्. रूप से चैक सप्रतिफल जारी करने के संबंध में उपधारणा है। यद्यपि उक्त उपधारणा खंडनीय प्रकृति की है। उपधारणा के खंडन करने के मानक सबूत के संबंध में ऐसी कोई उपधारणा उच्च प्रकृति की नहीं है, जैसा कि अभियोजन की आवश्यकता है। अभियुक्त वास्तविक रूप से संभावना को सबूत देकर उपधारणा से मुक्त हो सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि न्यायालय को परिस्थितियों के अनुसार साक्ष्य को अवधारित करते समय यह देखना चाहिये कि क्या उपधारणा को खंडित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं। (पैरा 3) (98-डी-एच, 99-ए)

2. वर्तमान मामले में किसी भी विवर. का अस्तित्व, तारीख जिस दिन ऋ. का अग्रिम भुगतान किया गया में किसी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य की कमी से यह दर्शित किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य कोई संव्यवहार किसी स्थान पर नहीं हुआ, यह एक महत्वपूर्. परिस्थिति है। ऐसा तथ्य कि चैक को उसी दिन पक्षकारों द्वारा परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया, ऐसी परिस्थितियां जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी का यह तर्क है कि चैक वापिस नहीं हुआ और परिवादी ने उसे नष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया, ऐसी परिस्थितियां भी आसानी से खारिज नहीं की जा सकती। गवाह डी.ड.1 के अनुसार शिकायतकर्ता के पिता और अभियुक्त के मध्य अभियुक्त की उपस्थिति में खातों का निस्तार. किया गया था और उस समझौते के अनुसार अभियुक्त चैक को अग्रिम रूप से मांगने का हकदार था। गवाहों के अनुसार कथन किया गया कि अपीलार्थी के पिता ने चैक को वापस करने से मना किया और किसी अन्य दिन देने का वायदा किया। यहां ऐसा कोई परीक्षित गवाहों की साक्ष्य को खारिज करने का कार. नहीं है कि दोनों पक्षकारों के मध्य उक्त घटना के संबंध में दूध आपूर्ति के बारे में गवाहों की साक्ष्य के आधार पर समझौता हुआ। अपीलार्थी के पिता को परीक्षित नहीं करवाया गया, जो न्यायालय के बाहर उस समय उपस्थित थे, जब परिवादी के बयान लेखबद्ध किये गये, जबकि वह महत्वपूर्. थे। परिवादी पक्ष को उसे न्यायालय में परीक्षित कराने का प्रयास करना चाहिये था, अन्यथा यह स्वीकारकरना चाहिये था कि

अभियुक्त ने उसे वास्तव में दूध की आपूर्ति की थी। अभियुक्त को दूध का अग्रिम भुगतान उनके मध्य व्यापार के संव्यवहार के दौरान दिया जाना चाहिये था। अभियुक्त के भुगतान के बाबत् चैक बतौर सिक्यूरिटी जारी करना विवादित है। इस समस्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्. रूप से न्यायोचित निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरूद्ध साबित करने में असफल रहा है और उसे आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। (पैरा 10,11) (102-ई-एचए-103-ए-ई)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 261/2013

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश पीठ इंदौर की आपराधिक निगरानी याचिका नंबर 926/2009 निर्.य एवं आदेश दिनांक 29.01.2010 से।

अपीलार्थी की ओर से अर्पित गुप्ता, अनुपम लाल दास।

प्रत्यर्थीग. की ओर से शशिभूष. पी. अठागांवकर, नरेश कमार।

न्यायालय द्वारा निर्.य सुनाया गया।

न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा, 1. अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, जिस पर प्रथम चर. में ही विस्तार से सुनवाई की गई थीए इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक पुनरीक्ष. संख्या 926ध/2009 में पारित निर्.य और आदेश दिनांक 29.1.2010 के खिलाफ निर्देशित है। जिसके तहत बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और

परक्राम्य लिखत; संशोधनद्ध अधिनियमए 1988 की धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता पर दोषसिद्धि और एक वर्ष की सजा के साथ एक लाख और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। संक्षेप में श्एन.्आई.् अधिनियमश्द्ध को अपास्त किया गया है और आपराधिक पुनरीक्ष. को स्वीकार किया गय, इसलिए शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश पर हमला किया हैए जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया और प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को अपास्त कर दिया।

3. इस अपील की योग्यता की सराहना करने के लिएए शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता के मतानुसार आवश्यक तथ्यात्मक विवर. यह है कि प्रत्यर्थी.अभियुक्त; बरी होने के बाद सेद्ध ने शिकायतकर्ता से 1,15,000/-. रुपये की राशि उधार ली थी। अपीलकर्ता को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए जो उसे दी गई थी क्योंकि दोनों के बीच संबंध मधुर थे। पुनर्भुगतान के माध्यम सेए प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड फजलपुराए उज्जैन को दिनांक 14.08.2007 को क्रमांक 119682 की राशि 1,15,000/- रुपये का चेक जारी किया। शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि 14.8.2007 को जब चेक को भुनाने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया तो उसे अपर्याप्त धनराशि के कार. बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गयाए इसलिए शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता ने कुछ दिनों के बाद 17.8.2007 को

आरोपी.प्रतिवादी को एक कानूनी नोटिस जारी कियाए जिसका जवाब नहीं दिया गया क्योंकि प्रतिवादी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही उक्त राशि का भुगतान किया।

4. यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी.अभियुक्त एक ग्रामी. है जो सुबह और शाम को शिकायतकर्ता के पिता की डेयरी पर दूध की आपूर्ति करता था और उसके पिता ने शाम को आपूर्ति के लिए भुगतान किया था। इस भाग से परेए प्रतिवादी.अभियुक्त का मामला यह है कि शिकायतकर्ता सभी दूध आपूर्तिकर्ताओं से सुरक्षा जांच लेता था और एक वर्ष के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करता था जिसके लिए दूध की आपूर्ति की जानी थी। यह इस आधार पर है कि प्रत्यर्थी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक जारी किया था जो केवल सुरक्षा की राशि के रूप में था जिसे केवल तभी भुनाया जाना था जब दूध की आपूर्ति नहीं की गई थी। बचाव कहानी के इस भाग को समझाते हुएए बचाव पक्ष के गवाहों में से एक जीवन गुरु ने कहा कि जब कोई व्यक्ति गांव के किसी भी व्यक्ति से दूध खरीदने का अनुबंध करता हैए तो डेयरी मालिक यानी शिकायतकर्ता पक्ष ने एक वर्ष पहले भुगतान किया और बदले में प्रतिवादी की तरह दूध आपूर्तिकर्ता ने सुरक्षा के माध्यम से उक्त राशि के चेक जारी किए। इस व्यवस्था के मद्देनजर आरोपी लक्ष्म. ने शिकायतकर्ता के पिता को दूध की आपूर्ति शुरू कर दी। खातों के निपटान के दौरानए जब आरोपी लक्ष्म. ने अपना सुरक्षा चेक वापस मांगाए क्योंकि उसने पहले ही शिकायतकर्ता के पिता श्याम

सुंदर को उस राशि के लिए दूध की आपूर्ति कर दी थीए तो उसे बाद में चेक वापस लेने का निर्देश दिया गया। चूंकि हिसाब.किताब तय हो चुका था इसलिए आरोपी ने सुरक्षा चेक वापस करने के लिए जोर दियाए लेकिन चेक प्रतिवादी को वापस नहीं दिया गयाए जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीध्अभियुक्त और दूध आपूर्तिकर्ता के बीच झगड़ा हुआए जिसके कार. आरोपी ने मामला दर्ज कराया। 13.8.2007 को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंए क्योंकि शिकायतकर्ता के पिता श्याम सुंदर ने भी प्रतिवादी.अभियुक्त के साथ मारपीट की और उनके साथ दुर्व्यवहार कियाए जिन्होंने प्रतिवादी.अभियुक्त को चेक वापस करने से इनकार कर दिया थाए जो उनके द्वारा केवल सुरक्षा के रूप में जारी किया गया था। जवाबी कार्रवाई के रूप मेंए शिकायतकर्ता ने केवल प्रतिवादीध्दूध आपूर्तिकर्ता के साथ हिसाब बराबर करने के लिए नकदीकर. के लिए चेक प्रस्तुत किया।

5. हालाँकिए शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता ने एन.्आई.् की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीए उज्जैन के समक्ष अधिनियमए जिन्होंने अधिनियम के तहत निर्धारित सारांश परीक्ष. का संचालन करते हुए रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य पर विचार किया और प्रतिवादी को एनआई की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी ठहराया। अधिनियम और इसलिए प्रतिवादी.अभियुक्त की सजा का आदेश दर्ज किया गया जिसके कार. उसे एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1,20,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

प्रत्यर्थी.अभियुक्त ने आदेश से व्यथित होकर नौवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशए उज्जैनए म.प्र. के समक्ष अपील दायर की। जिस पर दोषसिद्धि के आदेश को यथावत रखा गया और इसलिए अपील को खारिज कर दिया।

6. इसके बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त ने निचली अदालतों के समवर्ती निर्.य और आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्ष. दायर कियाए लेकिन उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले और आदेशों को रद्द कर दिया क्योंकि यह माना गया था कि दोषसिद्धि और सजा का आक्षेपित आदेश खंडन के बचाव साक्ष्य पर विचार न करने के कार. न्याय की गंभीर विफलता का शिकार हुआए जिसने शिकायतकर्ता के मामले को ध्वस्त कर दिया।

7. अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादी.अभियुक्त को अपराध से बरी करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और पलटने के आदेश की आलोचना करते हुएए शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि दर्ज करने वाले फैसले और आदेश को रद्द करके और उसे पहले ही बताए गए अनुसार सजा देकर नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्यों की गलत सराहना की थी और माना था कि प्रतिवादी.अभियुक्त एक अनपढ़ व्यक्ति प्रतीत होता है जो

मुश्किल से हस्ताक्षर कर सकता है और शिकायतकर्ता के मामले को प्रभावित करने वाले कुछ विवाद पर ध्यान दिया क्योंकि एक घटना 13.8.2007 को हुई थीए जबकि कथित चेक 1,15,000/- रुपये के ऋ. के भुगतान के लिए नकदीकर. के लिए 14.8.2007 को प्रस्तुत किया गया था। विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की भी आलोचना की जिसमें दर्ज किया गया था कि चेक दूध के कुछ लेनदेन की सुरक्षा के माध्यम से जारी किया गया था जो प्रतिवादी.अभियुक्त और शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता के पिता के बीच हुआ था और इस प्रकार शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता के मामले को खारिज कर दिया गया था।

8. प्रत्यर्थी.अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने हालांकि शिकायतकर्ता के मत का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला स्पष्ट रूप से झूठा मामला दर्ज करके प्रतिवादी को परेशान करने के इरादे से किया गया था। यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी को 1.15.000/- रुपये का व्यक्तिगत ऋ. दिया गया था और उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने उक्त ऋ. के पुनर्भुगतान के लिए चेक जारी किया थाए जो उच्च न्यायालय की जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका क्योंकि उसने साक्ष्य में कमजोरी देखी थी। शिकायतकर्ता के नेतृत्व में ।

9. प्रत्यर्थी.अभियुक्त के स्वीकार किए गए हस्ताक्षर के बावजूदए विवादग्रस्त पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बादए उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आलोक मेंए हम शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता की ओर से आग्रह की गई याचिका में इस हद तक तथ्य पाते हैं कि चेक परए प्रतिवादी.अभियुक्त के पास इस तथ्य से इनकार करने का अवसर नहीं था कि उसने शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक जारी नहीं किया था क्योंकि एक बार चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए गए थे और अपर्याप्त धनराशि के कार. उसे वापस कर दिया गया थाए अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से माना जाएगा और प्रतिवादी.अभियुक्त के लिए यह आग्रह करना खुला नहीं था कि यद्यपि चेक बाउंस हो गया थाए अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने के.एन. के मामले में इस न्यायालय के प्राधिकार पर भरोसा जताया। बीना बनाम मुनियप्पन और अन्य। (1), शिकायतकर्ता-अपीलार्थी की इस दलील को पर्याप्त महत्व मिलता है कि चेक के अनादर. के प्रतिफल को साबित करने का भार शिकायतकर्ता.अपीलकर्ता पर नहीं हैए बल्कि यह साबित करने का भार है कि चेक किसी वैध ऋ. के भुगतान के लिए जारी नहीं किया गया था या अभियुक्त पर एक दायित्व है और यदि वह इस तरह के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता हैए तो वह अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इस प्रकारए अपीलकर्ता के वकील का यह तर्क कि यह प्रतिवादी.अभियुक्त ;बरी होने के बाद सेद्ध

हैए जिसे इस बोझ से मुक्ति मिलनी चाहिए थी कि चेक केवल सुरक्षा के माध्यम से दिया गया थाए प्रत्यर्थी/अभियुक्त पर यह स्थापित करने का दायित्व है कि चेक था शिकायतकर्ता द्वारा भुनाए जाने का इरादा नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी ने पहले ही राशि के लिए दूध की आपूर्ति कर दी थी। लेकिन फिर सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि प्रतिवादी अपने मामले को साबित करने में सफल रहा कि चेक केवल सुरक्षा जमा के माध्यम से था जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्क्रियता के कार. भुनाया नहीं जाना चाहिए था। इसलिए प्रतिवादीध्अभियुक्त को दोषसिद्धि और सजा मिलनी तय थी।

10. यह निस्संदेह सच है कि जब एक चेक उस व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं और शिकायतकर्ता उचित रूप से उस बोझ का निर्वहन करता है कि चेक एक वैध भुगतान के लिए जारी किया गया थाए तो यह आरोपी पर धारा के तहत बोझ का निर्वहन करने का दायित्व है। 118 एवं 139 एन.आई. अधिनियम कि चेक किसी कानूनी ऋ. के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया थाए बल्कि किसी व्यावसायिक लेनदेन के कार. सुरक्षा या किसी अन्य कार. से जारी किया गया था या गैरकानूनी तरीके से प्राप्त किया गया था। एन.्आई.् का उद्देश्य अधिनियम स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को धोखा देने या धोखा देने के आर्थिक अपराध पर अंकुश लगाने और उस पर नियंत्र. रखने के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करने के लिए हैए जिसे ऋ. के भुगतान के लिए चेक

जारी किया गया है और यदि शिकायतकर्ता उचित रूप से उस बोझ का निर्वहन करता है जो भुगतान वैध था। ऋ. के मामले मेंए अभियुक्तध्चेक के हस्ताक्षरकर्ता के लिए यह बचाव स्थापित करना खुला नहीं है कि यद्यपि चेक पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थेए जो अनादृत हो गया थाए यह कोई अपराध नहीं होगा।

11. हालाँकिए परक्राम्य लिखत अधिनियम में इस संबंध में दो धारणाएँ शामिल हैंरू एक अधिनियम की धारा 118 में और दूसरी उसकी धारा 139 में। धारा 118 (ए) इस प्रकार है:-.

> "118. परक्राम्य लिखतों के बारे में उपधारणायें-जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाये, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगी.
>
> 1. प्रतिफल के विषय में: यह कि हर परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्ाि रचित या लिखी र्ग थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी रू.
>
> "139. धारक के पक्ष में उपधारणा-

जब तक अन्यथा सिद्ध न हो यह प्रकल्पना की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 38 में वर्णित पकृति का चैक किसी ऋ. अथवा अन्य दायितव के पूर्. अथवा आंशिक भुगतान स्वरूप प्राप्त किया है।

12- उपरोक्त दो उपधारणाओं से निपटते समयए पी.वे.गोपाल बनाम मदन पी. सारथी के मामले में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह मानते हुए प्रसन्नता व्यक्त की थी कि परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 139, 118 (ए) और 138 के तहत ऋ. या अन्य देनदारियों के अस्तित्व को पहली बार में शिकायतकर्ताध्परिवादीद्वारा साबित किया जाना चाहिएए लेकिन इसके बाद साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है। इस प्रकारए दलील यह है कि उपकर.ध्चेक उसके वैध मालिक से या उसकी वैध अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया था या किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से उसके निर्माता या स्वीकारकर्ता से प्राप्त किया गया था। गैरकानूनी प्रतिफलए उचित समय में धारक एक धारक हैए इसका खंडन करने का भार उस पर होता है। इसलिएए इस न्यायालय ने उसमें कहाए कि निर्विवाद रूप सेए प्रारंभिक भार शिकायतकर्ता पर थाए लेकिन चेक धारक के पक्ष में उठायी गई उपधारणा को इसमें शामिल मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसके बादए उठायी गई उपधारणा इस हद तक विस्तारित नहीं होता है कि चेक किसी ऋ. या देनदारी के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था

जिसे शिकायतकर्ता द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और यह बचाव है जो किए यह साबित करने के लिए कि चेक वैध ऋ. के भुगतान के लिए जारी नहीं किया गया था।

13. उपरोक्त मामले के अनुपात को के.एन. बीना बनाम मुनियप्पन और अन्य के मामले में भी लागू करना हैए जब हम इस मामले के तथ्यों की जांच करते हैंए तो हमने देखा है कि यद्यपि प्रतिवादी इस भार का निर्वहन करने में विफल हो सकता है कि प्रतिवादी ने जो चेक जारी किया था उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं थेए फिर भी इसमें एक स्पष्ट कमीप्रतीत होती है शिकायतकर्ता का मामला जो यह स्थापित करने में विफल रहा कि चेक वास्तव में व्यक्तिगत ऋ. के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया था क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उस तारीख को निर्दिष्ट किए बिना दर्ज किया गया था जिस दिन ऋ. दिया गया था और न ही शिकायत उस तारीख को इंगित करती है। इसके दाखिल करने की तारीख वाले कॉलम में श्शून्यश् दर्शाया गया हैए हालांकि शिकायतकर्ता की अपनी कहानी के अनुसारए प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि वह दो महीने के भीतर पैसे वापस कर देगाए जिसके लिए उसने एक पोस्ट.डेटेड चेक नंबर 119582 दिनांक 14.08.2007 जारी किया था। 2007 में विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेडए उज्जैन से रु. 1,15,000/- की राशि निकाली गई। शिकायतकर्ता का आगे का मामला यह है कि जब

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड फजलपुराए उज्जैन में अपने बचत खाता क्रमांक 1368 में जमा करने के लिए 14.8.2007 को चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया थाए तो उक्त चेक अनादरित होकर वापस आ गया। 14.8.2007 को श्अपर्याप्त राशिश् नोट वाला बैंक। सबसे पहलेए प्रतिवादी.अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 14.8.2007 को एक पोस्ट.डेटेड चेक जारी किया थाए लेकिन शिकायतकर्ताध्अपीलकर्ता ने आसानी से उस तारीख का उल्लेख करना छोड़ दिया जिस दिन ऋ. दिया गया थाए जो शिकायतकर्ता के मामले के लिए घातक है। इस महत्वपूर्. चूक से उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चेक 14.8.2007 को जारी किया गया था और इसे जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर बाद की तारीख में भुनाया जाना था जो 14.8.2007 थी। लेकिन यह स्पष्ट है कि चेक बैंक के समक्ष जारी करने की तारीख 14.8.2007 को ही प्रस्तुत किया गया था और उसी तारीख यानी 14.8.2007 को शिकायतकर्ता को एक लिखित ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें अपर्याप्त धनराशि का संकेत दिया गया था। सबसे पहलेए यदि चेक ऋ. राशि के पुनर्भुगतान के लिए थाए तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि इसे दो महीने के भीतर बाद की तारीख में या चेक जारी होने की तारीख से कम से कम थोड़ा बाद में भुनाया जाना थारू यदि चेक ऋ. के पुनर्भुगतान के लिए जारी किया गया थाए यह समझ से परे है कि शिकायतकर्ता द्वारा उसी तारीख को चेक क्यों प्रस्तुत किया गया था जब यह जारी किया गया था और शिकायतकर्ता को

यह निर्दिष्ट किए बिना भी दर्ज कराया गया था कि ऋ. की राशि किस तारीख को दी गई थी और किस तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई क्योंकि तारीख सुविधाजनक रूप से गायब है।इस पृष्ठभूमि में कि 14.8.2007 से ठीक एक दिन पहले यानी 13.8.2007 को प्रतिवादी.अभियुक्त और शिकायतकर्ता.डेयरी मालिक के बीच एक विवाद हुआ थाए जिसके लिए प्रतिवादी.अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के पिता के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया थाध् डेयरी मालिक द्वारा ऋ. देने की तारीख और शिकायत दर्ज कराने की तारीख न बताना शिकायतकर्ता की याचिका पर गंभीर संदेह पैदा करता है। इसलिएए यह समझना मुश्किल है कि जो चेक शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार ऋ. के पुनर्भुगतान के लिए थाए जिसे दो महीने के भीतर भुनाया जाना थाए उसे जारी करने की तारीख पर ही जमा क्यों कर दिया गया। शिकायतकर्ता इस प्रकार अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि चेक एक वैध ऋ. के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और इसे उसी तारीख को भुनाया जाना था जब इसे जारी किया गया थाए विशेष रूप से जब शिकायतकर्ता उस तारीख का खुलासा करने में विफल रहा जिस पर आरोप लगाया गया था प्रतिवादीध्अभियुक्त को राशि अग्रिम दी गई थी। इस प्रकार स्पष्ट विसंगतियां हैं जो शिकायतकर्ता के बयान में भारी अंतर का संकेत देती हैं कि चेक हालांकि जारी किया गया थाए लेकिन इसे उसी तारीख को तुरंत भुनाया जाना था जब इसे जारी किया गया था।

14.इस प्रकारए हमारा विचार है कि भले ही चेक उसके वैध मालिक यानी प्रतिवादी.अभियुक्त से विधिवत प्राप्त किया गया होए लेकिन इसका उपयोग गैरकानूनी कार. के लिए किया गया था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस तारीख को नकदीकर. के लिए प्रस्तुत किया गया था जब यह नहीं था प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में प्रतिवादी के पास शिकायतकर्ता से ऋ. मांगने का कोई कार. नहीं होता यदि उसके पास चेक जारी होने की तारीख पर ऋ. राशि का भुगतान करने की क्षमता होती। किसी भी घटना मेंए यह शिकायतकर्ता के मामले को गंभीर संदेह के दायरे में छोड़ देता हैए जिस पर दोषसिद्धि और सजा का मामला कायम नहीं रह सकता है।

15. इस प्रकारए शिकायतकर्ता के मामले में गंभीर कमजोरियों का संकेत देने वाले रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रकाश मेंए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को सही ढंग से खारिज कर दिया है और परिणामस्वरूप दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता के मामले में स्पष्ट विसंगतियां थींए जिससे विकृत निष्कर्ष सामने आएए जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी को अनुचित दोषसिद्धि और सजा हुई। वास्तव मेंए ट्रायल कोर्ट और तथ्यों की पहली अपीलीय अदालत भी एन.आई. की धारा 118 (ए) और 139 के महत्वपूर्. तत्वों को समझने से चूक गई । अधिनियम ने नीचे की अदालतों के लिए खंडन के बचाव साक्ष्य की जांच करना अनिवार्य बना दिया है कि क्या

प्रत्यथीध्अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के मामले को खारिज करने के लिए अपने भार का निर्वहन किया और केवल शिकायतकर्ता के कथन के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किया। सबूतों की जांच करने परए जो हमने अनुचित दोषसिद्धि और न्याय के गर्भपात से बचने के लिए किया थाए हमने पाया है कि उच्च न्यायालय ने नीचे की अदालतों के फैसले को सही ढंग से खारिज कर दिया हैए जो ट्रायल कोर्ट के रूप में चुनौती के अधीन थे और साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया था। बचाव पक्ष की बात को नजरअंदाज करते हुएए जो पुख्ता सबूतों के बल पर शिकायतकर्ता के मामले को खारिज करने में सफल रहा और इस तरह परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118 (ए) और 139 के तहत परिकल्पित भार से छुटकारा पा लिया। अधिनियम जो यद्यपि चेक धारक के पक्ष में उपधाराणा की बात करता हैए इसमें ष्जब तक कि अन्यथा सिद्ध न होष् और ष्जब तक कि अन्यथा साबित न होष् जैसे शब्दों को शामिल करके प्रावधान शामिल किए गए हैंए जो उपरोक्त के तहत विधानमंडल द्वारा बनाये गए नियम हैं। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118 और 139 के प्रावधान विधानमंडल ईमानदार लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने का विकल्प चुनता हैए लेकिन यह उस व्यक्ति को इसका खंडन करने और इसके विपरीत साबित करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ उपधारणाा बनाई गई है।

16. नतीजतनए हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यर्थी को बरी करने के फैसले और आदेश को यथावत रखते हैं और इसलिए इस अपील को खारिज करते हैं।

न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर. जे.

1. मुझे अपने सम्मानित सहकर्मी ज्ञान सुधा मिश्राए जे द्वारा प्रस्तावित निर्.य और आदेश को पढ़ने का लाभ मिला है। मैं उनकी लेडीशिप द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रत्यर्थी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया गया है और वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालाँकिए मैं उस निष्कर्ष के समर्थन में अपने कुछ शब्द जोड़ना चाहूँगा।

2. तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थीए मेरी सम्मानित बहन न्यायमूर्ति मिश्रा द्वारा प्रस्तावित आदेश में निर्धारित की गई हैए इसलिए मेरे लिए तथ्यों को दोबारा बताना अनावश्यक है । यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने पुनर्भुगतान के लिए पूर्व से 1,15,000/- रुपये की राशि उधार ली थीए जिसके बाद कहा जाता है कि उसने विक्रमादित्य नागरिक सहकारी पर देय समान राशि का चेक जारी किया था। जब चेक बैंक बैंक लिमिटेड

फ़ज़लपुराए उज्जैन में प्रस्तुत किया गया तो श्अपर्याप्त धनराशिश् के कार. चेक अनादरित हो गया। विधिक नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी भुगतान करने में विफल रहने पर आरोपी पर उपरोक्त प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। निचली दोनों अदालतों ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 1,20,000 रुपये जुर्माने के अलावा एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई।

3. बचाव में अभियुक्त द्वारा स्थापित मामला यह है कि वह एक दूध विक्रेता है जो शिकायतकर्ता के पिता को दूध की आपूर्ति करता था जो एक डेयरी फार्म चलाता है। आरोपी ने दावा किया कि प्रचलित प्रथा के अनुसार उसे एक वर्ष की अवधि के लिए दूध की आपूर्ति के लिए अग्रिम राशि प्राप्त हुई और 1,15,000/- रुपये की राशि के लिए चेक के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई। जब आरोपी.प्रतिवादी और शिकायतकर्ता के डेयरी मालिक.पिता के बीच वार्षिक हिसाब.किताब तय हो गयाए तो आरोपी ने

चेक वापस करने की मांग की। हालाँकिए डेयरी मालिक ने किसी और दिन ऐसा करने का वादा करके चेक वापस करने से परहेज किया। चूंकि बाद में कई बार मांगने के बावजूद भी चेक आरोपी को वापस नहीं किया गयाए इसलिए दोनों के बीच विवाद हुआ जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के पिता के खिलाफ पुलिस क्षेत्राधिकार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उक्त विवाद के अगले ही दिनए जिस चेक को प्रतिवादी शिकायतकर्ता के

पिता से वापस मांग रहा थाए उसे शिकायतकर्ता द्वारा बैंक में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गयाए जिसके बाद राशि के भुगतान की मांग करते हुए एक नोटिस दिया गया और अंततः धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी के खिलाफ.् इस प्रकारए आरोपी के मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक सौंपने की बात स्वीकार की गईए लेकिन इस बात से इनकार किया गया कि यह किसी ऋ. के पुनर्भुगतान के लिए था। उच्च न्यायालय ने यहां आरोपी.प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए संस्कर. को सही माना है। हम एक से अधिक कारणों से ऐसा कहते हैं। सबसे पहलेए शिकायतकर्ता की कहानी कि उसने प्रत्यर्थी.अभियुक्त को ऋ. दिया थाए किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है कि ऐसा कोई ऋ. लेनदेन कभी हुआ था। इतना ही नहींए शिकायत में उस तारीख का भी उल्लेख नहीं है जिस दिन ऋ. की मांग की गई और उसे आगे बढ़ाया गया। यह इन पहलुओं के बारे में आनंदपूर्वक चुप है जिससे पूरी कहानी संदिग्ध हो गई है। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि ऐसी धारणा है कि चेक का मुद्दा विचारार्थ है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 इसे पूरी तरह से स्पष्ट करती हैं। हालाँकिए यह उपधाराणा प्रकृति में खंडन योग्य है। सबसे महत्वपूर्. बात यह है कि ऐसी किसी भी उपधारणा का खंडन करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक उतना ऊंचा नहीं है जितना अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक है। जब तक अभियुक्त अपना पक्ष यथोचित रूप से संभावित बना सकता हैए तब तक अनुमान का खंडन

करने का भार समाप्त हो जाएगा। किसी मामले में ऐसा है या नहींए यह उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह सामान्य बात है कि अदालतें यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों पर विचार कर सकती हैं कि क्या उपधारणा का पर्याप्त रूप से खंडन किया जाना चाहिए। किसी उपधारणा का खंडन करने के लिए आवश्यक प्रमा. के मानक के संबंध में कानूनी स्थिति इस न्यायालय के निर्.यों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा काफी अच्छी तरह से तय की गई है।

4. एम.एस. नाराय. मेनन बनाम केरल राज्य (2006) 6 एससीसी 39, में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक मामले में उस पहलू से निपटते समयए इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 118 (ए) और 139 के तहत उपधारणा खंडन योग्य हैं और ऐसे खंडन के लिए आवश्यक प्रमा. का मानक संभावनाओं की प्रधानता है न कि उचित संदेह से परे प्रमा.। न्यायालय ने कहा:

> "29. साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में जब भी अधिनियम द्वारा यह प्रदत्त किया जाता है कि अदालत किसी तथ्य को मान लेगीए तो वह ऐसे तथ्य को साबित मानेगी जब तक कि वह अस्वीकृत न हो जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 (व्याख्या खंड) में "साबित" और "नासाबित" शब्दों को परिभाषित किया गया है...

30. अधिनियम की धारा 118 (ए) के पीछे के सिद्धांत के लिए "साबित" या "नासाबित" की उक्त परिभाषाओं को लागू करते हुए, अदालत एक परक्राम्य लिखत को तब तक विचार के लिए मान लेगी जब तक कि उसके समक्ष मामले पर विचार न कर लिया जाए। यह मानता है कि प्रतिफल अस्तित्व में नहीं है या प्रतिफल की गैर.मौजूदगी को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील व्यक्ति कोए विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि प्रतिफल अस्तित्व में नहीं है। ऐसी धारणा का खंडन करने के लिएए एक संभावित बचाव खड़ा करने की आवश्यकता है। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिएए शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है।

32. प्रमा. का मानक स्पष्टतः संभावनाओं की प्रधानता है। संभावनाओं की प्रबलता का अनुमान न केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से लगाया जा सकता हैए बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी लगाया जा सकता है जिन पर वह भरोसा करता है।

> 41. इसलिए, खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हैए लेकिन बचाव के समर्थन में अदालत के समक्ष ऐसे सबूत पेश किए जाने चाहिए कि अदालत को या तो बचाव के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए या

इसके अस्तित्व को उचित रूप से संभावित मानना चाहिएए मानक तर्कसंगतता श्विवेकपूर्. व्यक्तिश् की होती है।"

5. एम.एस. में निर्.य के. प्रकाशन बनाम पी.के. मामले में नाराय. मेनन (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था। सुरेंद्रन (2008) 1 एससीसी 258 जहां इस न्यायालय ने निम्नानुसार कानूनी स्थिति दोहराई

"13. अधिनियम दो उपधारणाएँ उठाता हैय सबसे पहलेए धारा 118 (ए) में निहित प्रतिफल के पारित होने के संबंध में औरए दूसरेए एक धारणा है कि धारा 139 में निर्दिष्ट प्रकृति के समान प्राप्त करने वाले चेक धारक ने किसी भी ऋ. या अन्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है। देयता। धारा 118 (ए) और 139 दोनों के तहत उपधारणा प्रकृति में खंडन योग्य हैं।

14. इसके अलावा इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं है कि जहां तक अभियोजन का सवाल है तो सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे अपराध का सबूत हैय अभियुक्त पर केवल संभाव्यता की प्रबलता है।

6. कृष्. जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेय जी. हेगड़े (2008) 4 एससीसी 54 में इस न्यायालय का निर्.य भी इसी आशय का हैए जहां इस न्यायालय ने कहा थारू

"32... एक आपराधिक मामले में आरोपी और अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत के मानक अलग.अलग होते हैं।

34. इसके अलावाए जबकि अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेहों से परे किसी आरोपी का अपराध साबित करना होगाए किसी आरोपी की ओर से बचाव साबित करने के लिए सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

4. क़ानून उपधारणा को बढ़ाने का आदेश देता है लेकिन यह यहीं रुक जाता है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार बनाई गई उपधारणा का खंडन किया जाना चाहिए। कानूनी न्यायशास्त्र के अन्य महत्वपूर्. सिद्धांतए अर्थात् मानव अधिकारों के रूप में निर्दोषता की उपधारणा और धारा 139 द्वारा शुरू किए गए परिवर्तित सबूत के सिद्धांत को नाजुक ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए।

7. भारत बैरल एंड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम अमीन चंद प्यारेलाल (1999) 3 एससीसी 35 में भी संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर धारा 118(ए) और धारा 139 के तहत उपधारणाओंको खंडन योग्य माना गयाए जहां न्यायालय ने कहारू

"11... हालांकि साक्ष्य का भार शुरू में धारा 118 के आधार पर प्रत्यर्थी पर डाला गया हैए लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा संभावनाओं की प्रबलता दिखाकर इसका खंडन किया जा सकता हैए जैसा कि प्रस्ताव मेंए या सूट नोटिस में या वादपत्र में कहा गया है। अस्तित्व में नहीं है और एक बार जब अनुमान का खंडन कर दिया जाता हैए तो उक्त अनुमान श्गायबश् हो जाता है। प्रारंभिक साक्ष्य संबंधी भार का खंडन करने के उद्देश्य सेए प्रतिवादी प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या कानून या तथ्य की उपधारणाओं पर भरोसा कर सकता है। एक बार जब इस तरह के ठोस खंडन साक्ष्य पेश किए जाते हैं और मामले की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं की प्रबलता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैंए तो साक्ष्य का भार परिवादीपर वापस आ जाता हैए जिस पर कानूनी भार भी होता है।

8. हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतींद्रनाथ बनर्जी (2001) 6 एससीसी 16 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में अभियोजन पक्ष के पक्ष में साक्ष्य उपधाराणा की तुलना निर्दोषता की धारणा से कीरू

"22. उपधाराणाए साक्ष्य के नियम हैं और निर्दोषता की उपधाराणा के साथ संघर्ष नहीं करते हैंए क्योंकि उत्तरार्द्ध का मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य है। अभियोजन पर दायित्व का निर्वहन कानून या तथ्य की उपधाराणाओं की मदद से किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त अनुमानित तथ्य की गैर.मौजूदगी की उचित संभावना दिखाने वाले सबूत पेश नहीं करता है।

23. दूसरे शब्दों में, बशर्ते कि कानून की उपधाराणा का आधार बनाने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद हों, न्यायालय के पास वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विवेक नहीं बचता हैए लेकिन यह उस व्यक्ति को खंडन करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ उपधाराणा बनाई गई है यह और इसके विपरीत साबित करना।

9. महताब सिंह और अन्य में निर्.य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2009द्ध 13 एससीसी 670ए सुब्रम.यम बनाम तमिलनाडु राज्य (2009) 14 एससीसी 415 और विष्. दत्त शर्मा बनाम दया सप्रा (2009) 13 एससीसी 729, तर्क की एक ही पंक्ति लें।

10. वर्तमान मामले की बात करें तोए जिस तारीख को ऋ. दिया गया थाए उस तारीख के किसी भी विवर. का अभाव और साथ ही यह दिखाने के लिए किसी दस्तावेजी या अन्य सबूत की अनुपस्थिति कि पार्टियों के बीच वास्तव में ऐसा कोई ऋ. लेनदेन हुआ थाए एक महत्वपूर्. परिस्थिति है तो यह तथ्य भी कि चेक पार्टियों के बीच विवाद के अगले दिन प्रस्तुत किया गया थाए एक ऐसी परिस्थिति है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी का कथन कि चेक उसे वापस नहीं किया गया था और शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए उसे प्रस्तुत किया थाए एक ऐसी परिस्थिति है जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। इन सबके अलावा DW1, जीवन गुरु की गवाही भी शामिल हैए जिसके अनुसार शिकायतकर्ता के पिता और आरोपी के बीच उनकी उपस्थिति में हिसाब.किताब तय हुआ था और समझौता होने पर आरोपी ने अग्रिम राशि के बदले दिए गए इस चेक को वापस करने की मांग की थी। गवाह द्वारा आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता के पिता ने चेक वापस करने से परहेज किया और किसी अन्य दिन ऐसा करने का वादा किया। इस गवाह के बयान को खारिज करने के लिए हमें कोई ठोस कार. नहीं सुझाया गया हैए जिसने गवाही दी है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की घटना के बाद आरोपी गवाह को दूध की आपूर्ति कर रहा है क्योंकि वह भी उसी व्यवसाय में है। शिकायतकर्ता के पिताए जिनके बारे में कहा गया था कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने की तारीख पर कोर्ट हॉल के बाहर मौजूद

थेए से पूछताछ न करना भी महत्व रखता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष द्वारा उसे अदालत से दूर रखने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास थाए अन्यथा उसे यह स्वीकार करना पड़ता कि अभियुक्त वास्तव में उसे दूध की आपूर्ति कर रहा था और अभियुक्त को उसकी कीमत दी गई थी। पावती में व्यापार प्रथा के अनुसार अग्रिम दूध और सुरक्षा के रूप में आरोपी ने किस राशि के लिए चेक जारी किया था।

11. उपरोक्त परिस्थितियों की समग्रता मेंए उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पूरी तरह से उचित था कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामला बनाने और उसे आरोपों से बरी करने में विफल रहा था। मेरे योग्य सहयोगी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की व्याख्या में इन टिप्पणियों के साथए मैं सहमत हूं कि अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

बी.बी.बी. अपील खारिज की गई

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रमोद कुमार मलिक (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।